रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 633] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 2011/अग्रहायण 3, 1933
No. 633] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2011/AGRAHAYANA 3, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 830(अ).—केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम, 1975 के नियम 3 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. ए-12018/1/2010-सीपीडब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2011

G.S.R. 830(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1975, rule 3 shall be omitted.

[F. No. A-12018/1/2010-CPW]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 831(अ).—केन्द्रीय सरकार जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अध्यक्ष की अर्हताओं तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अध्यक्ष की अर्हता और सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) अभिप्रेत है;

(ख) "केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ।

3. वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें.—(1) अध्यक्ष, रु. 67,000-79,000 के वेतनमान में (उच्च प्रशासनिक ग्रेड+ वेतनमान) तीन प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन-वृद्धि सहित वेतन प्राप्त करेगा ।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त, अध्यक्ष निम्नलिखित का हकदार होगा,—

(क) भारत सरकार के अपर सचिव को यथा अनुज्ञेय नगर प्रतिकर भत्ता और मकान किराया भत्ता :

परंतु जहां अध्यक्ष को केन्द्रीय सरकार द्वारा आवास का आबंटन किया जाता है, वहां वह मकान किराया भत्ता का हकदार नहीं होगा और उससे भारत सरकार के अपर सचिव को यथा लागू अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करना अपेक्षित होगा;

(ख) उसके द्वारा अध्यक्ष के रूप में उसके कर्तव्यों के संबंध में उसके द्वारा की गई यात्राओं की बाबत भारत सरकार के अपर सचिव को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता;

(ग) भारत सरकार के अपर सचिव को यथा अनुज्ञेय चिकित्सा सुविधाएं ।

(3) भत्तों, छुट्टी, कार्यभार ग्रहण का समय, कार्यभार ग्रहण वेतन, भविष्य निधि, उपदान, अधिवर्षिता की आयु, सेवानिवृत्ति फायदे और सेवा की अन्य शर्तों के विषय में अध्यक्ष की सेवा की अन्य शर्तें ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होगी जो तत्समय उन स्थानों पर आस्थित तत्सम वेतनमान वाले अधिकारियों को लागू हैं ।

4. आयु सीमा.—नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । यह सीमा संविदा नियुक्तियों के लिए भी लागू होगी ।

5. शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं.—(1) कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन अध्यक्ष के रूप में नामांकन के लिए चयन हेतु पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह,—

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पर्यावरण संबंधित विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या पर्यावरण से संबंधित विषय में अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि धारण नहीं करता तथा उसे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विशेष ज्ञान और पंद्रह वर्ष का व्यवहारिक अनुभव नहीं है (औद्योगिक प्रदूषण न्यूनीकरण, जल उपचार या वायु प्रदूषण नियंत्रण युक्तियों के रूप में सिद्धांत और व्यवहार जिसके अंतर्गत पश्चात्वर्ती विकास भी है); या

(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी लोक सेक्टर उपक्रम अथवा किसी विश्वविद्यालय या किसी स्वायत्तशासी निकाय अथवा कानूनी निकाय के अधीन अधिकारी है, और —

(i) विभाग या मूल काडर में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण करता है; या

(ii) मूल काडर या विभाग में नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-4 में 37,400-67,000+10,000 रु. ग्रेड वेतन या समतुल्य में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है; और

(iii) खंड (क) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं और अनुभव रखता है,

स्पष्टीकरण:—इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पर्यावरण प्रबंधन में डॉक्टोरल उपाधि और समकक्ष पुनर्विलोकित अनुसंधान प्रकाशनों का अति उत्तम रिकार्ड तथा सेवा कार्मिकों के लिए पर्यावरण संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुभव वांछनीय अर्हता होगी ।

(2) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन अध्यक्ष के रूप में नामांकन होने के लिए केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी लोक सेक्टर उपक्रम अथवा किसी विश्वविद्यालय या किसी स्वायत्तशासी निकाय अथवा कानूनी निकाय के अधीन कार्य करने वाला अधिकारी अध्यक्ष के रूप में नामित होने के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर विचार किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण:—इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग अथवा केन्द्रीय सरकार में इस नियुक्ति के ठीक पूर्ववर्ती धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि समेत प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

6. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट दे सकेगी ।

7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

[फा. सं. ए-12018/1/2010-सीपीडब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2011

G.S.R. 831(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules regulating the qualifications and other terms and conditions of service of the Chairman in the Central Pollution Control Board, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Pollution Control Board (Qualifications and other Terms and Conditions of Service of Chairman) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

(b) "Central Pollution Control Board" means the Central Pollution Control Board constituted under Section 3 of the Act;

(c) "Chairman" means the Chairman of the Central Pollution Control Board.

3. Pay, allowances and other conditions of service.—(1) The Chairman shall receive pay in the pay scale of Rs. 67,000-79,000 (Higher Administrative Grade plus scale) with an annual increment at the rate of three per cent.

(2) In addition to the pay specified in sub-rule (1), the Chairman shall be entitled to,—

(a) a city compensatory allowance and house rent allowance as are admissible to an Additional Secretary to the Government of India:

Provided that where the Chairman is allotted an accommodation by the Central Government, he shall not be entitled to house rent allowance and shall be required to pay a licence fee as applicable to an Additional Secretary to the Government of India;

(b) the traveling allowance and daily allowance, in respect of journeys undertaken by him in connection with his duties as the Chairman, at the rates permissible in the case of an Additional Secretary to the Government of India;

(c) the medical facilities as are admissible to an Additional Secretary to the Government of India.

(3) The other conditions of service of the Chairman in the matters of allowances, leave, joining time, joining time pay, provident fund, gratuity, age of superannuation, retirement benefits, and other conditions of service shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to officers belonging to the corresponding pay scale stationed at those places.

4. Age Limit.—The Maximum age limit of appointment shall be not exceeding fifty six years as on the last date for the receipt of applications. This limit will apply for contract appointment also.

5. Educational and other qualifications.—(1) No person shall be eligible for being selected for nomination as the Chairman under clause (a) of sub-section (2) of Section 3 of the Act, unless,—

(a) he possesses Master's Degree in science relating to environment or Bachelor's Degree in engineering in a discipline relating to environment from a recognised University or institute and has special knowledge and fifteen years practical experience relating to the environment protection (including subsequent developments in theory and practice as in industrial pollution mitigation, water treatment or air pollution control devices); or

(b) he is an officer under the Central Government or a State Government or a public sector undertaking or a University or an autonomous body or a statutory body, and—

(i) holds an analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) has three years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band 4 in the pay scale of Rs. 37,400-67,000 plus grade pay of Rs. 10,000 or equivalent in the parent cadre or department; and

(iii) possesses the qualifications and experience specified in clause (a),

Explanation.—For the purposes of this sub-rule, a doctoral degree in environmental management from a recognised University or institute and excellent record of peer reviewed research publications and experience of organising environment related training programmes for service personnel, shall be a desirable qualification.

(2) An officer working under the Central Government or a State Government or a public sector undertaking or a University or an autonomous body or statutory body selected for nomination as the Chairman under clause (a) of sub-section (2) of Section 3 of the Act, shall be considered for nomination as the Chairman on deputation basis.

Explanation :—For the purpose of this sub-rule, period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department or the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

6. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person or the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

[F. No. A-12018/1/2010-CPW]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.